वित्त निर्देश 9/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 103/एफ 2017-46-00195/वित्त/नियम/चार   नया रायपुर, दिनांक 2/3/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के प्रकरणों में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से अभिप्रेत।

संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक बी-6/6/91/PWC/चार, दिनांक 7.8.1996

छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (1) के तहत् पेंशन को रोकने और उसे वापस लेने के अधिकार राज्यपाल को हैं। साथ ही इस नियम के उपनियम (2) में यह व्यवस्था है कि अगर शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए या पुनर्नियुक्ति के दौरान उसके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित नहीं की जाती है तो राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर विभागीय जांच संस्थापित नहीं की जायेगी। संदर्भित ज्ञापन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे प्रकरणों में राज्यपाल महोदय की व्यक्तिगत स्वीकृति की जरूरत नहीं है वरन इन प्रकरणों में मंत्रि-परिषद की स्वीकृति ली जानी चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2008/1/एक (प्रति संलग्न) द्वारा छत्तीसगढ़ कार्य नियम में संशोधन करते हुए उक्त मामले को परिषद के समक्ष रखे जाने वाले मामलों की सूची से विलोपित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोकने, वापस लेने एवं कम करने संबंधी प्रकरण समन्वय के मामलों की सूची में शामिल किया गया है।

तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन नियम 9 (1) के अंतर्गत पेंशन को रोकने एवं वापस लेने तथा नियम 9 (2) के अंतर्गत शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए या पुनर्नियुक्ति के दौरान शासकीय कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित नहीं करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरांत विभागीय जांच संस्थापित करने संबंधी प्रकरणों पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
2/3/2017
(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 104/एफ 2017–46–00195/वित्त/नियम/चार   नया रायपुर, दिनांक 2/3/2017
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
11. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

18. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

2/3/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर – 492002

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 05 जुलाई , 2014

क्रमांक एफ 1–1/2008/1/एक, :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों के निर्देश में, –

1. भाग दो–"परिषद् के मामलों में या परिषद के समक्ष रखे जाने वाले मामलों के संबंध में कार्य नियम के नियम 7 के अधीन जारी किये गये निर्देश" के निर्देश (पच्चीस–क) को विलोपित किया जाए ।
2. भाग चार– "समन्वय के मामलों के संबंध में कार्य नियम के नियम 10 के अधीन जारी किये गये निर्देश" के निर्देश (एक) के खण्ड (घघघ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(ड.ड.ड.) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोकने, वापस लेने एवं कम करने संबंधी प्रकरण."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विकास शील)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर – 492002

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2014

कमांक एफ 1–1/2008/1/एक, :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2008/1/एक, दिनांक 05 जुलाई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विकास शील)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur Dated, 05 July, 2014

No. F 1-1/2008/1/One, In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Rules of Business namely:-

AMENDMENT

In the Directions of the said rules,-

1. Direction (xxv-A) fo Part-II-"Direction issued under Rule 7 of the Business Rules in regard to Council cases or cases to be brought before the council", shall be omitted.

2. After clause (ddd) of direction (one) of Part -IV- "Direction issued under Rule 10 of the Business Rules in regard to co-ordination cases", the following shall be added, namely:-

    "(eee) Cases relating to withholding, withdrawing and reduction of pension under Rule 9 of the chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Vikas Sheel)
Secretary,
Government of Chhattisgarh,
General Administration Department,